रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 1968/चैत्र 8, 1890

No. 53] **NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 1968/CHAITRA 8, 1890**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

TARIFFS

New Delhi, the 28th March 1968

No. 11(1)-Tar/67.—Whereas the Central Government is satisfied, after due enquiry, that the duty chargeable under the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), in respect of Silk, raw (excluding silk waste, noils and silk cocoons), falling under Item No. 46 of the said Schedule, and characterised as protective in the third column thereof, has become excessive for the purpose of securing the protection intended to be afforded by it to similar articles manufactured in India.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby reduces, with immediate effect, the duty of customs leviable under the said item No. 46 on the said article namely silk, raw (excluding silk waste, noils and silk cocoons), from 50 per cent *ad valorem* plus Rs. 8.80 per Kilogram to 30 per cent *ad valorem*.

B. N. BANERJI, Special Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

टैरिफ

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1968

संख्या 11(1)-टैरिफ/67.—क्योंकि समुचित जांच के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारतीय प्रशुल्क (टैरिफ) अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत, कच्चे रेशम (रेशम-व्यर्थ, गट्ठियों तथा रेशम के कोयों को छोड़ कर) के संबंध में, लिया जाने वाला शुल्क, जो उपर्युक्त अनुसूची की मद संख्या 46 के अन्तर्गत आता है, और जिसे उसके तीसरे स्तम्भ में संरक्षणशील के रूप में वर्णित किया गया है, भारत में इस प्रकार की वस्तुओं को उसके द्वारा दिये गये संरक्षण के प्रयोजन के लिए अत्यधिक हो गया है।

अतः अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करती हुई केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त मद संख्या 46 के अन्तर्गत उपर्युक्त वस्तु, अर्थात् कच्चे रेशम पर (रेशम व्यर्थ, गट्ठियों तथा रेशम के कोयों को छोड़ कर) आरोप्य सीमा शुल्क को, एतद्द्वारा तत्काल 50 प्रतिशत मूल्यानुसार जमा 8.80 रु० प्रति किलोग्राम से घटाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करती है।

बी० एन० बैनर्जी,
विशेष सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968